फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मूलचन्द बनाम मालीराम वगै०

मुकदमा नम्बर :– 63/13

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	15/01/25	प.क्र.34/ वादी प्रा.पत्र मौका रिपोर्ट हेतु भेजा जाने पर प्रतिवादी अवलोकन किया जाकर पत्रावली दिनांक 23/1/25 को पेश हो।	
	23/1/25	प.क्र.34/ वादी प्रा.पत्र मौका रिपोर्ट हेतु भेजा जाने पर सुनी गयी। वादी पत्र का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है अतः प्रा.पत्र खारिज किया जाता है क्योंकि मूल वाद की प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है वादी T.I. अपील भी सुनी गयी। प्रकरण में न्यायालय द्वारा पूर्व के अन्तर्वर्ती अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि हुई है उक्त आदेश को ता-कौंसला मूल वाद खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है तथा पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता न बढे अतः उक्त आदेश दिनांक 03/6/13 को ता-कौंसला मूल वाद खारिज किया जाता है पत्रावली कौंसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।	

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)